तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11 08/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट श्री अमृत परिहार ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि अपीलाधीन भूमि ग्राम फालनागांव के खसरा नंबर 152/1298 रकबा 0.40 हैक्टर के खातेदार भगवतीलाल पुत्र लालचंद अग्रवाल रहे है। भगवतीलाल ने जीवन के अंतिम समय में दिनांक 06.12.2005 को अपीलाधीन भूमि बाबत अपने पुत्र राजेन्द्र कुमार के पक्ष में अपनी धारित भूमि का वसीयतनामा निष्पादित किया। जिस वसीयतनामें पर दो साक्षीगण के हस्ताक्षर कराये तथा वसीयतकर्ता ने उक्त वसीयतनामा को नोटेरी से प्रमाणित करवाया। इस प्रकार अपीलांट राजेन्द्र कुमार के पक्ष में अपीलाधीन भूमि वसीयत हो जाने से खातेदार भगवतीलाल की मृत्यु दिनांक 21.07.2012 को होने के पश्चात अपीलांट माफिक वसीयतनामा अपीलाधीन भूमि का खातेदार हो चुका है। परंतु खातेदार भगवतीलाल के देहांत के बाद दाखिल नामांतरकरण संख्या 1189 के जरिये अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 का नाम विरासत के तौर पर दर्ज करते हुये नामांतरकरण 1189 सरपंच ग्राम पंचायत फालनागांव द्वारा दिनांक 2.01.2016 को स्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या वसीयतनामा दिनांक 06.12.2005 के विपरीत दाखिल व स्वीकृत होने से एब इनिशियों वॉइड है। एब इनिशियों वॉइड होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादास्पद नामांतरकरण संख्या 1189 दिनांक 20.01.2016 को खारिज किये जाने की दलील दी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने धारा 5 लिमिटेशन के संबंध में दलील दी कि विवादास्पद नामांतरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 02.07.2018 को लीज शुदा आराजी की लीज राशि रेस्पोंडेंट संख्या 09 तहसीलदार बाली के पास जाने पर हुई। तथा जानकारी होते ही अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अन्दर अवधिकाल मात्र 14 दिन पश्चात ही दिनांक 16.07.2018 को न्यायालय में पेश कर दी थी। जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने की दलील दी। विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये:– 1. 2009 DJ (SC) वकील अपीलांट की दलीलों का खंडन करते हुये रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड द्वारा दलील दी गई कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार भगवतीलाल के मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का फालना गांव द्वारा विरासत का नामांतरकरण संख्या 1189 भगवतीलाल के समस्त विधिक वारिसान के नाम सही तौर पर दाखिल किया गया। जिस नामांतरकरण को निरीक्षक भू–अभिलेख खुडाला ने भी जांच कर इन्द्राज सही होने का अंकन दिनांक 12.01.2016 को किया गया। तथा पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत फालना गांव ने पंचायत के प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा दिनांक 20.01.16 को विवादास्पद नामांतरकरण संख्या 1189 स्वीकृत किया। जो नामांतरकरण सही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने की दलील दी। वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी दलीलों के समर्थन में कानूनी दृष्टांत 2025(1) आरआरटी 200 पेश की ।	

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

: पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि अपीलांट द्वारा जिस नामांतरकरण को निरस्त किये जाने की दलील दी जा रही है उस नामांतरकरण संख्या 1189 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात है कि फालनागांव के खसरा नंबर 152/1298 रकबा 0.40 हैक्टर के खातेदार भगवतीलाल पुत्र लालचंद के खातेदारी की भूमि रही है तथा भगवतीलाल के देहांत के पश्चात विवादास्पद नामांतरकरण के जरिये नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित भगवतीलाल के वारिस के सजरे के अनुसार नामांतरकरण दाखिल किया तथा बाद जांच सरपंच फालनागांव द्वारा भी स्वीकृत कर दिया गया। जबकि अपीलांट के पक्ष में भगवतीलाल पुत्र लालचंद जी ने अपीलाधीन भूमि फालनागांव के खसरा नंबर 152/1298 रकबा 0.40 हैक्टर का वसीयतनामा दिनांक 06.12.2005 को नोटेरी द्वारा प्रमाणितशुदा वसीयत किया। इस प्रकार वसीयतनामे के अनुसार भगवतीलाल के देहांत के पश्चात दाखिल विवादास्पद नामांतरकरण संख्या 1189 के जरिये माफिक वसीयतनामा भगवतीलाल के समस्त विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज नहीं किया जाकर अकेले अपीलांट के नाम विधि अनुसार दाखिल किये जाने की मांग की गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। ग्राम फालनागांव स्थित भूमि के खसरा नंबर 152/1298 रकबा 0.40 हैक्टर के संबंध में दाखिल व स्वीकृत विवादास्पद नामांतरकरण संख्या 1189 दिनांक 20.01.16 खारिज किया जाता है। तहसीलदार बाली को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि स्वर्गीय भगवतीलाल पुत्र लालचंद जी द्वारा अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत को मद्देनजर रखते हुये स्वर्गीय भगवतीलाल के वारिसान अपीलांट व रेस्पोंडेंट को सुनकर नये सिरे से विधि अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करे। आदेश प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner